

॥श्री॥

निगरानी २२०९-PBR-15

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल गवालियर केम्प इन्डौर ३५०४०४
-०-

जगदीश पिता हिरालाल जाति सुतार निवासी बोडिया
तह सरदारपुर जिला धार ३५०४०४ -- प्रार्थी

बनाम

कलाप पिता हिरालाल जाति चारण
२०१३ निवासी बोडिया तह सरदारपुर जिला धार
-- विपक्षी

क्षेत्रफल निगरानी अंतर्गत धारा ५० म.प. भु.रा.स.
-०-

माननीय महोदय,

तेवा मे प्रार्थी की ओर से न्यायालय अनुचितभागीय अधिकारी
राजस्व सरदारपुर क्षेत्र जिला धार के पत्र क्र. १६७७ /री.। /२०१५ दिनांक
५.६.१५ से असंतुष्ठ एव दुःखी होकर अंदर अवैध निगरानी पेश है ।-

प्रकरण के तथ्य

जिस्टर्ड ऑफिसर निगरानी अधिकारी प.ह.न. १३/२२ तह सरदारपुर के पटेल प्रार्थी के पिता हिरालाल
की मृत्यु दिनांक २४.१.०५ को हो चुकी होकर प्रार्थी दारा अपने पिता के स्थान
पर पटेल नियुक्त हेतु आवेदन पेश किया गया हसी के साथ विपक्षी द्वारा भी
अनु०० अधिकारी राजस्व सरदारपुर को पढ़ा पश्च पर नियुक्त का आवेदन दियागया।

अनु०० अधिकारी द्वारा दोनों के आवेदन पत्र जाँच हेतु तहसीलदार सरदारपुर को
भेजे गये तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दोनों आवेदकों के आवा अलग प्रकरण दर्ज
अ०५५ मे दर्ज कर जाँच एव रिपोर्ट प्राप्त कर अधिभत्त अनु०० अधिकारी सरदारपुर को भेजा
गया अनु०० अधिकारी द्वारा मृतक पटेल के पुत्र को पटेल नियुक्त नहीं कर विपक्षी
को अस्थाई नियुक्त किया गया उसी आदेश से असंतुष्ठ होकर यह निगरानी निम्न
कारणों सहित प्रस्तुत है ऐक :-

आधार निगरानी

१- यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विचित्र विधान एव प्रकरण परिका
के विपरीत होने से निश्चित योग्य है।

२- यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटेली पद हेतु दिये गये प्रेवधानों के
विपरीत आदेशों देने से कानूनी भुल की है गैर होवे।

७२

—१४१३—

क्रमांक
नियंत्रणी 2209 (PBR) 2015 — एवा

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही अथवा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभावकों
आदि के हाल

20.10.2015

अपेक्षक की ओर से श्री
सुदामा ईश्वर होलेकी अधीचापक
उपाधिकर्ता ग्रन्ति पर भुत्ता गया।
अनुबंधभागीय अधिकारी डॉ.
ओमेश खर्षण का अन्तर्गत पात्र
किया गया है, जो अधीकीय अंतर्गत
है। अतः स्वसम याचक्य में
अपील प्रदूष बताए हुए प्रकाश
वापस किया जाता है।

(म)

अधिकारी

मुख्यमन्त्री का अधिकारी
कर्तव्योन्नाम अधीकारी
प्रधानमंत्री का अधिकारी
20/10/15
ग्राम पंचायत